



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—1051—कार्य / चौदह—पाकालि / 2019—8(24)—के / 2019

दिनांक: 17 जून, 2019

प्रबन्ध निदेशक,

स्पीड पोस्ट पूर्वान्वय विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर।

विषय : मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर द्वारा तीन वर्ष के लिए काली सूची में डाले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता (भण्डार क्रय), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर के पत्र सं0—72/एस0टी0पी0/19—20 दि0 18.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर ने मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को तत्काल प्रभाव से केस्को के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत किये हैं।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

/(आर0 के0 श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)

संख्या—1051—(I)—कार्य / चौदह—पाकालि / 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता (भण्डार क्रय), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, सिविल लाईन्स, कानपुर को उनके पत्र सं0—72/एस0टी0पी0/19—20 दि0 18.04.2019 के संदर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता, (कम्यूटराइजेशन), कक्ष संख्या—407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट—[www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:—यथोपरि।

/(आर0 के0 श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बडोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तपुरम-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन०पी०क०पी०आर०, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमांचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच०पी०)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलांग-793001,
9. अध्यक्ष, झाझखण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच०ई०सी० धुर्वा, राँची-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क० लि०, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि०, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि०, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, उ० दिल्ली पावर लि०, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि०, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि०, भुवनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि०, ब्लाक-5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गाँधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि०, जनपद, भुवनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि०, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रुरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता- 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि०, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर०सी० देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं०-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि०, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि०, जी०पी०एच० कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलेपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाई ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक-यथोपरि।

( आर० के० श्रीवास्तव )  
उप सचिव (कार्य)



# कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिंग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (भण्डार क्य)

14/71, सिविल लाईन्स, केरको, कानपुर।

estpokesco@gmail.com

पत्र सं. 765 कार्यालय पाइपलाइन 2019  
दस्तावेज़ सं. 1 8/24/2019  
पंचायती सं. 8/24/2019

पत्रांक:- 72/एस०टी०पी०/19-20

दिनांक:- 18.04.2019

## कार्यालय झाप

ई-निविदा सं. 38/17-18 में विभिन्न साइज के एल०टी० एस०एल०पी०इ० केबिल की आपूर्ति हेतु मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को कार्यादेश सं. जी०एम०जे०-३०४/ए०एफ०-७६ दिनांक 29.01.2018 निर्गत किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	Particulars	Units	Qty.	Total Value in Rs.
1	L.T XLPE cable of size 1x300sqmm	Km	10	1760000.00
2	L.T XLPE cable of size 1x400sqmm	Km	10	2200000.00

अधिशासी अभियन्ता (भण्डार), केरको के पत्र सं. 285/भण्डार/ए०एफ०-७६/2019-20 दिनांक 16.04.2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, लखनऊ ने पत्र सं. 842/सीएमयू(डी)/ई-03/परिवर्तक/2019 दिनांक 03.04.2019 के अनुपालन में आपूर्ति उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश के दृष्टिगत मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली के कार्यादेश सं. जी०एम०जे०-३०४/ए०एफ०-७६ दिनांक 29.01.2018 के विरुद्ध आपूर्ति L.T. XLPE Al. Cable, size- 1x300 Sqmm. के सील्ड सैम्पल को, सी०पी०आर०आई० नोएडा लैब में जांच कराने पर CPRI, Noida में रिपोर्ट सं. CPRINOACAB18T0163 दिनांक 15.01.2019 के अनुसार टेस्टिंग के दौरान IS:7098 (Part-1) 1988 with latest amendment के Clause 15.2 - "Tensile Strength and Elongation at break" Test को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। मानक के अनुसार Tests on Outer Sheath की Tensile Strength and Elongation at break-12.9 N/mm<sup>2</sup> minimum (Tensile Strength) and Elongation at break 150% minimum होना चाहिए। टेस्टिंग में यह मानक 12.08 N/mm<sup>2</sup> एवं 87.05% पाया गया। टेस्टिंग परिणाम के अनुसार Cable के Outer Sheath के परिणाम Elongation at break मानक से काफी कम पाया गया हैं, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है।

उक्त के कम में मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली यों इस कार्यालय एवं भण्डार खण्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से केरको में अधोभानक शूलकी अधिकारी की आपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु फर्म द्वारा कोई भी उत्तर प्रेषित नहीं किया गया। निर्गत निटिरों का विवरण निम्नवत है:-

कोर्स	पत्र सं.
1	1264/एस०टी०पी०/18-19 दिनांक 18.02.2019
2	203/भण्डार/ए०एफ०-७६/18-19 दिनांक 18.03.2019
3	1440/एस०टी०पी०/ए०एफ०-७६/18-19 दिनांक 27.03.2019

अधिशासी अभियन्ता (भण्डार), केरको द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि समरत सील्ड विद्युत सामग्री के सैम्पलों को CPRI, Noida को इस कार्यालय के पत्रांक 890/STW/Routine Test दिनांक 05.12.2018 द्वारा भेजा गया था, तथा इस पत्र की प्रतिलिपि फर्म को ई-मेल द्वारा प्रेषित की गयी थी। पत्र में टेस्टिंग के समय फर्म प्रतिनिधि को उपस्थित रहने को निर्देशित किया गया था, इस हेतु किसी भी जानकारी को प्राप्त करने हेतु केरको के प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर भी इंगित किया गया था, जिनसे सम्पर्क कर रीमैलों की परीक्षण की तिथि एवं समय के सम्बन्ध में जानकारी ली जा सकती थी।

M/s Paragon Cable Corporation, Delhi द्वारा कार्यादेश सं. GMJ-304/AF-76 दिनांक 29.01.2018 के विरुद्ध L.T. XLPE Al. Cable 1x300 Sqmm. की कुल मात्रा 10 किमी० कुल 20 नग ड्रम में एक बार में की गयी। फर्म के परिसर

Page 1 of 2

EXECUTIVE ENGINEER  
Stores Purchase Officer  
KESOC, KANPUR

( अनुल कुमार )  
अपर सचिव (प्रथम)

सं. 343 सं. 20/कृष्ण/रिपोर्ट/प्राकार्हि०/2019

S.O.(R)  
3/5/19

R.C.R.  
M  
03-5-19

2190/6cm/2019  
29/04/2019

नि. (की.प्र.)

51

४५

( 29.4.19 )

निजी

आग्रह, जूनपुर

अंकृत

J.S.(W)

30.4.19

1/6

रामेश्वर  
कानपुर

पर परीक्षण के दौरान मात्र 2 ड्रमों से 5 मीटर सैम्पल लेकर टेस्टिंग की गयी। इसी प्रकार केस्को हाईटेक लैब में भी मात्र 2 ड्रमों से सैम्पल लेकर टेस्टिंग की गयी। CPRI Noida में L.T. XLPE Al. Cable 1x300 Sqmm. के सैम्पल के Tests on Outer Sheath की Tensile Strength and Elongation at break मानक में फेल होने से यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा आपूर्ति L.T. XLPE Al. Cable 1x300 Sqmm. की सामग्री में से कुछ सामग्री की मानक के अनुरूप आपूर्ति नहीं की है। फर्म का यह कृत्य एक गम्भीर कदाचार है।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ने पत्र सं० 842/सीएमयू(डी)/ईई-03 /परिवर्तक/2019 दिनांक 03.04.2019 द्वारा प्रोक्योरमेन्ट गाइड लाइन्स के अन्तर्गत आपूर्ति उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में बिन्दु सं० 01 पर सैम्पल के टेस्टिंग में फेल होने की दशा में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध शो कॉर्ज नोटिस आदि की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए परीक्षण परिणाम में गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर न्यूनतम 03 वर्ष का प्रतिबन्ध/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉर्पोरेशन देहली को क्यादेश सं० जी०एम०जे०-३०४/००एफ०-७६ दिनांक 29.01.2018 के अन्तर्गत आपूर्ति केबिल CPRI, Noida में टेस्टिंग के दौरान संदर्भित IS के मानकों के अनुरूप न पाये जाने, अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन एवं केस्को की छवि खराब करने के दोषी पाये जाने के कारण निम्न कार्यवाही की जाती है:-

1. अतः फर्म से किये गये समस्त अनुबन्ध/क्रयादेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
2. मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉर्पोरेशन देहली के विरुद्ध जमा की गई निम्नलिखित धरोहर राशि/बैंक गारंटी को जब्त किया जाता है:-

क्र०सं०	जमानत धनराशि का विवरण	धनराशि (₹० में)
1	SDR No. 6705587 dated 05.02.2018	396000.00
	<b>Total</b>	<b>396000.00</b>

3. केस्को, कानपुर के अन्तर्गत फर्म पैरागॉन केबिल कॉर्पोरेशन देहली को तत्काल प्रभाव से केस्को के अन्तर्गत 3 वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक, केस्को

पत्रांक:- 72/एस०टी०पी०/19-20, दिनांक:- 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० विकटेरिया पाक मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन बाईपास रोड सिकन्दरा, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर (शिविर कार्यालय)।
9. निदेशक (वाणिज्यक), केस्को कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, केस्को कानपुर।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को कानपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता (भण्डार), केस्को कानपुर।
13. मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉर्पोरेशन देहली।

(मनीष कुमार गुप्ता)  
अधिशासी अभियन्ता, भण्डार क्य